यूपी में चीनी मिलों की बढ़ी मुश्किल

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 14 अक्टूबर

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को उच्चतम न्यायालय भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के साथ मिलों को भी करारा झटका दे चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए दोनों बैंक सर्वोच्च अदालत पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मिलों को कर्ज के बदलने जमानत के तौर पर उनके पास रखे चीनी के भंडार को बेचकर सबसे पहले उनका कर्ज चुकाने का निर्देश दिया जाए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भंडार बेचकर मिली रकम से सबसे पहले किसानों का बकाया चुकाया जाए।

मिलों के लिए यही झटका कम नहीं था, उस पर राज्य सरकार ने पेराई का निर्देश सुना दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल मालिकों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में पेराई 10 नवंबर तक हर हाल में शुरू हो जाए। मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेराई शुरू करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है।

हालांकि चीनी मिलें फिलहाल पेराई को नहीं तैयार, कहा रखरखाव का काम नहीं हुआ शुरू

इससे पहले सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने बैंकों की याचिका खारिज कर चीनी भंडार बेच किसानों का बकाया चुकाने का दिया निर्देश

उप्र सरकार ने 10 नवंबर तक पेराई शुरू करने का दिया निर्देश

हालांकि निजी मिलें पेराई के लिए राजी नहीं हैं। मिलों का कहना है कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पिछले साल गठित उच्च स्तरीय समिति ने गन्ने के मूल्य पर स्थायी फॉर्मूले के लिए जो सिफारिशें दी थीं, उन्हें लागू किया जाए। इसके अलावा इस पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य घोषित करने से पहले मिलों से मशविरा किया जाए। मिलें इन मुद्दों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय जा चुकी हैं, जहां मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

इस बीच उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने मिलों में पेराई शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन चीनी मिलों का कहना है कि अभी रखरखाव और मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे पेराई शुरू करना कठिन होगा। पिछले साल भी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही पेराई शुरू हो पाई थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्ता पर बताया, 'हम अदालत के आदेश के मुताबिक चीनी का स्टॉक बेचकर किसानों का बकाया चुका रहे हैं।' उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 5 सितंबर के आदेश को बरकरार रखा है।

बिजनेस स्टैन्डर्ड
15/10/14